


छत्तीसगढ़ शासन  
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

—: आदेश :-



नया रायपुर, दिनांक 29/4/2017  
क्रमांक: एफ 6-90/2016/42/तक.शि. :: विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 9-5/2017/तक.शि.  
/42, दिनांक 22/3/2017 को जारी छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्थानों हेतु प्रवेश नियम 2017 के बिंदु  
क्रमांक 8.5 के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक W.P.  
(C) 1707/2016 - Shri Shankaracharya Institute of Professional Managaement &  
Technology Vs. State of Chhattisgarh and 02 others में दिनांक 02.02.2017 को पारित निर्णय  
"Read down the rule so as to read that in case of students who seek cancellation of their  
seat during the first semester, they must seek cancellation at least 5 days prior to the last  
date of filling of the seat so as to give reasonable time to the institution to fill up the  
same. In case the application for cancellation of admission is not made five days prior to  
the last date of admission, then the student shall not be entitled to any refund" के अध्यक्षीन  
रहेगा, जब तक की इसमें अन्य कोई निर्णय पारित नहीं होता है अथवा संशोधन नहीं होता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,  
तथा आदेशानुसार,

(विभा चौधरी)  
उप सचिव  
छ.ग. शासन  
कौ.वि.तक.शि.रो.वि

पृष्ठांकन क्र.: एफ 6-90/2016/42/तक.शि.  
प्रतिलिपि :

नया रायपुर, दि. : 29/4/2017

1. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर छ.ग. ।
2. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, विधि विधायी कार्य विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. डॉ. जी. के. अग्रवाल, प्रोफेसर एवं प्रभारी अधिकारी, यांत्रिकी विभाग, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर ।
4. आयुक्त-सह-सचिव, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, इन्द्रवाती भवन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर ।
5. डॉ. बी. एस. चावला, प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी (न्याया. प्रक्र), शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर ।
6. मास्टर फाइल  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*Choudhary*  
(विभा चौधरी) 29/4/17  
उप सचिव

₹

05  
02/04/17